सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं.:— 2025 / 807 दर्ज तिथिः— 19.12.2025

1. गुणेशाराम पुत्र बृजलाल
   जाति ब्राहमण निवासी नोखड़ा तहसील नोखड़ा।

.....प्रार्थी

बनाम

1. लूणाराम पुत्र बृजलाल
2. खेमाराम पुत्र मोबताराम जाति ब्राहमण
3. वालाराम पुत्र नवलाराम
4. रेखाराम पुत्र सुरताराम जाति जाट
5. ईन्दुबैन पुत्र मिश्रीमल
6. खेताराम पुत्र मिश्रीमल
7. जीवणलाल पुत्र नीम्बराज
8. जोगाराम पुत्र मिश्रीमल
9. दुर्गादेवी पत्नी नीम्बराज
10. दिनेशकुमार पुत्र नीम्बराज
11. नन्दकिशोर पुत्र नीम्बराज
12. बागाराम पुत्र कोजमल
13. रघुनाथमल पुत्र कालू
14. रामचन्द पुत्र कालू
15. सरस्वती पत्नी मिश्रीमल
    जाति खत्री साकिन नोखड़ा तहसील नोखड़ा
16. सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत आडेल।

.....असल अप्रार्थीगण

17. तहसीलदार नोखड़ा

.....तकमीली अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीगणः— श्री ठाकराराम चौधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.24 16:45:21 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थीगण :— एकतरफा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—128
राजस्थान भू—राजस्व अधि—1956

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः— 20.02.2026

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधि—1956 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की हाल आराजी खसरा संख्या 829 / 355 / 1.2788 है0, 835 / 355 / 0.9550 है0 मौजा नोखड़ा तहसील नोखड़ा में स्थित है। उक्त वर्णित आराजी प्रार्थी की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है एवं आराजी पर प्रार्थी काबिज रहकर बिना किसी बाधा वो रूकावट के काश्त करते चले आ रहे है। उक्त खातेदारी आराजी से अप्रार्थीगण का कोई हक संबंध किसी प्रकार का नहीं है। अप्रार्थीगण प्रार्थी की आराजी के कार्यकाश्त में बाधा डालते हैं। उक्त आराजी का मौके पर सीमांकन नहीं होने से प्रार्थी द्वारा सीमांकन कराए जाने बाबत तहसीलदार नोखड़ा के यहां प्रार्थना—पत्र पेश किया जिस पर तहसीलदार नोखड़ा के आदेश की पालना में दिनांक 08.01.2026 को पटवारी हल्का नोखड़ा द्वारा उक्त आराजी का सीमांकन करवाया गया। परन्तु अप्रार्थीगण मौके पर असंतुष्ट होकर पैमाईश को नहीं मान रहे है तथा प्रार्थी की आराजी को अपनी आराजी में मिलाना चाहते है। अब प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी खसरा संख्या 829 / 355 / 1.2788 है0, 835 / 355 / 0.9550 है0 मौजा नोखड़ा तहसील नोखड़ा की पत्थरगढ़ी दिनांक 08.01.2026 की सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार कराना चाहते है। अंत में प्रार्थना—पत्र प्रार्थी स्वीकार कर आराजी उक्त की पत्थरगढ़ी मुताबिक पैमाइश के अनुसार कराए जाने के आदेश जारी करने का निवेदन किया गया।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण विधिवत तामिल बावजूद अनुपस्थित होने के कारण अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी।

3. न्यायालय द्वारा विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना—पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना—पत्र प्रार्थी स्वीकार कर आराजी की मुताबिक पैमाइश दिनांक 08.01.2026 के अनुसार पत्थरगढ़ी के आदेश जारी करने का निवेदन किया है।

4. मैंने बहस प्रार्थी अधिवक्ता पर मनन किया। प्रकरण में सर्वप्रथम राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—111 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः—

> ***111. Decision of disputes as to boundaries.**—(1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.24 16:45:21 IST
Reason: SelfAttested

survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.

(2) If, in the course of an inquiry into a dispute under this section the Land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or it if is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.

5. राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—111 के अनुसार खसरों की सीमाओं के विवाद को हाल राजस्व नक्शे के अनुसार तथा हाल राजस्व नक्शे के उपलब्ध न होने पर वास्तविक कब्जे के आधार पर निस्तारित किये जाने के प्रावधान बनाये गये है। खसरों की सीमाओं के विवाद को निस्तारित करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—128 के तहत प्रावधान बनाये गये है। अतः प्रकरण में साथ ही राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—128 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः—

128. Boundary disputes. *- All disputes concerning boundaries shall be decided by the Land Record Officer in the manner laid down in section 111:*

Provided that *applications in relation to boundaries of fields may be made to and disposed of by the Tehsildar in cases where there exists no dispute as to such boundaries but on account of the absence of proper boundary marks there is the likelihood of such a dispute arising.*

6. उक्त विधिक प्रावधानों के संदर्भ में पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2075—78 वाकै ग्राम नोखड़ा में राजस्व इन्द्राज एवं तहसीलदार नोखड़ा द्वारा किये गये सीमांकन रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड वाके ग्राम नोखड़ा के अंकित इन्द्राज के अनुसार उक्त आराजी प्रार्थी की सालिम खातेदारी की आराजी होना साबित है। साथ ही संलग्न रिपोर्ट पैमाइश दिनांक 08.01.2026 से भी यह तथ्य प्रार्थी साबित है कि प्रार्थी द्वारा तहसीलदार नोखड़ा के माध्यम से हल्का पटवारी से युक्त वर्णित आराजी की पैमाइश कराई जा चुकी है। सीमाज्ञान रिपोर्ट में पटवारी हल्का द्वारा मौके पर मुस्तकिल बिन्दु मानकर सीमाज्ञान किया। मौके पर प्रार्थी को सीमाचिह्न बताकर प्रार्थी को संतुष्ट किया गया है। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार उक्त वर्णित आराजी की खसरे की सीमाओं को लेकर अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद है। इस प्रकार प्रार्थीगण की अपनी कब्जेशुदा खातेदारी आराजी की सुरक्षा तथा सीमा विवाद के निस्तारण हेतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.24 16:45:21 IST
Reason: SelfAttested

पत्थरगढ़ी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर आदेश जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना—पत्र प्रार्थीग अंतर्गत धारा—128 भू—राजस्व अधिनियम—1956 के बाबत् पत्थरगढ़ी किये जाने का स्वीकार किया जाता है। हाल आराजी खसरा संख्या 829 / 355 / 1.2788 है0, 835 / 355 / 0.9550 है0 पर प्रार्थीगण एवं संबंधित पक्षकारों / हितधारकों की पूर्व सूचित उपस्थिति में खातेदारी आराजी पर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश तहसीलदार नोखड़ा को दिये जाते हैं एवं साथ ही निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थीगण को मौके पर उपस्थित रहने बाबत जरिये नोटिस पूर्वसूचित करते हुए पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट न्यायालय को अवगत करायें। पक्षकार अपना—अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

आदेश प्रति पालनार्थ हेतु तहसीलदार नोखड़ा को भिजवाई जावें। अहकाम पृथक से जारी किया जावे।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 20.02.2026 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.24 16:45:21 IST
Reason: SelfAttested